भारतीय रिज़र्व बैंक सर्विसेज़ बोर्ड

नि:शक्त (विकलांग) उम्मीदवारों जिन्हें लिखने में (जिसमें तेजी से लिखना शामिल है) शारीरिक रूप से कठिनाई हो तथा लिपिक (स्क्राइब) की सेवाओं का प्रयोग करने के लिए अनुसरण किए जाने के लिए अनुदेश

1. केवल नि:शक्त उम्मीदवार (अर्थात वे व्यक्ति जिनमें 40% अथवा अधिक अक्षमता हो) **जिन्हें लिखने जिसमें तेजी से लिखना शामिल है में शारीरिक रूप से कठिनाई हो** को लिपिक (स्क्राइब) की सेवाओं का प्रयोग करने की अनुमति दी जाएगी ।

2. केवल उन्हीं निश:क्त उम्मीदवारों को लिपिक (स्क्राइब) का प्रयोग करने की अनुमति दी जाएगी जो भारत सरकार/राज्य सरकार के प्राधिकृत विभाग/अस्पताल से इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेंगे कि उम्मीदवार को लिखने में (जिसमें तेजी से लिखना शामिल है) शारीरिक रूप से कठिनाई है । लिखने में (जिसमें तेजी से लिखना शामिल है) शारीरिक रूप से कठिनाई के बारे में चिकित्सा प्रमाणपत्र परीक्षा के प्रत्येक चरण के लिए उपस्थित होते समय मूल रूप में (फोटो प्रति के साथ) साथ लाना चाहिए । परीक्षा केंद्र पर फोटो प्रति मूल प्रति से सत्यापित की जाएगी तथा फोटो प्रति परीक्षा केंद्र के प्रभारी द्वारा रख ली जाएगी । जो उम्मीदवार ऐसा प्रमाणपत्र नहीं दे पाएंगे उन्हें लिपिक (स्क्राइब) की सुविधा का प्रयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

3. नि:शक्त उम्मीदवारों को उनके लिपिक (स्क्राइब) की व्यवस्था स्वयं अपने खर्चे पर करनी होगी ।

4. लिपिक (स्क्राइब) की शैक्षणिक अर्हता, **जिस पद के लिए परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, के लिए निर्धारित न्यूनतम पात्रता मानदंड से एक ग्रेड कम** होनी चाहिए ।

5. **आपातकाल में** लिपिक (स्क्राइब) में परिवर्तन करने की अनुमति होगी । जहां परीक्षा में एक से अधिक प्रश्न पत्र होगें वहां उम्मीदवारों को विभिन्न प्रश्न पत्र, विशेषकर भाषाओं के लिए, अलग-अलग लिपिक (स्क्राइब) लाने की अनुमति होगी ।

6. परीक्षा के प्रत्येक घंटे के लिए **बीस (20) मिनट के अतिरक्त/प्रतिपूरक समय की अनुमति केवल उन्हीं अक्षम उम्मीदवारों को दी जाएगी जिन्हें लिखने में (जिसमें तेजी से लिखना शामिल है) शारीरिक रूप से कठिनाई हो तथा जो लिपिक (स्क्राइब) की सुविधा का प्रयोग करेंगे ।**

P.T.O

7. नि:शक्त उम्मीदवारों को भारिबैं सर्विसेज़ बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली भर्ती परीक्षा में सहायक उपकरण जैसे टेलर फ्रेम, ब्रेल स्लेट, एबेकस, ज्यामिति किट, ब्रेल मापन टेप तथा संवर्धी संप्रेषण उपकरण (ऑग्मेन्टेटिव कम्यूनिकेशन डिवाइस) जैसे संप्रेषण चार्ट तथा इलेक्ट्रानिक्स उपकरण का प्रयोग करने की अनुमति होगी ।

8. उम्मीदवारों तथा लिपिक (स्क्राइब) दोनों के लिए अपेक्षित होगा कि वे परीक्षा के समय लिपिक (स्क्राइब) की फोटो के साथ निर्धारित प्रारूप में (जो प्रवेश पत्र के साथ वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है) संयुक्त वचन/घोषणा के रूप में अपने ब्यौरे प्रस्तुत करें । लिपिक द्वारा प्रस्तुत किए गए ब्यौरों को परीक्षा शुरु होने से पहले स्वयं उसके द्वारा सत्य तथा सही प्रमाणित किया जाना होगा । ऐसे नि:शक्त उम्मीदवारों के लिए अपेक्षित होगा कि परीक्षा के समय वे सभी रूपों में विधिवत भरा हुआ संलग्न प्रारूप अपने प्रवेश पत्र के साथ लाएं तथा यह परीक्षा केंद्र प्रभारी को उनके सत्यापन के लिए सौंप दें ।

9. लिपिक (स्क्राइब) के विकल्प का प्रयोग करने वाले उम्मीदवार उनके द्वारा लाए गए लिपिक (स्क्राइब) के कदाचार के लिए उत्तरदायी होंगे ।

10. उम्मीदवार और लिपिक (स्क्राइब) के बीच होने वाले वार्तालाप से किसी तरह परीक्षा हॉल/कक्ष या वहां बैठे अन्य उम्मीदवारों की शांति भंग नहीं होनी चाहिए ।

11. किसी भी अनुदेश का उल्लंघन होने पर उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द किए जाने के साथ उम्मीदवार/ लिपिक (स्क्राइब) के विरूद्ध बैंक/भारतीय रिज़र्व बैंक सर्विसेज़ बोर्ड द्वारा कार्रवाई की जाएगी । उम्मीदवार/ लिपिक (स्क्राइब) परीक्षा के नियमों के अधीन होंगे ।

12. समय के महत्व के मद्देनज़र तथा परीक्षा प्रतिस्पर्धी प्रकृति की होने के के कारण **उम्मीदवारों को बैंक के चिकित्सा अधिकारी (अर्थात भारतीय रिज़र्व बैंक) को संतुष्ट करना होगा कि लिपिक (स्क्राइब) का प्रयोग करना आवश्यक है क्योंकि उनके लिखने की गति उनकी अक्षमता से प्रभावित है ।**

13. यदि भर्ती के किसी भी स्तर पर यह पता लगा कि उम्मीदवार पात्रता मानदंड पूरा नहीं करता/करती तथा/अथवा उनके तथा लिपिक (स्क्राइब) द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी गलत/झूठी है अथवा उन्होंने कोई महत्वपूर्ण तथ्य (तथ्यों को) छिपाया है तो लिखित परीक्षा के परिणाम पर ध्यान दिए बिना आवेदक की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी । यदि को ऐसी कोई कमी/कमियां उम्मीदवार की नियुक्ति के बाद भी पता लगती है तो उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी ।